11/2/21 पत्रावली पेश हुई। वकील महाध्यक्ष उपस्थित हलकी प्रतिपक्षी हेतु पुनः अवकाश तथा अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 5/5/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

18/8/21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 8/10/21 को पेश हो।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

24/11/21 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। गत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 24/01/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

24.1.22 पत्रावली पेश हुई। राज्य सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा कोरोना महामारी दिशा निर्देश जारी होने पर पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22/5/22 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

22/3/22 पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी को बार-बार रूबरू कर आवाज लगाई गई। परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी अदम पैरवी व अदम [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो तथा वाद [illegible] जाया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested